

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 38/2020-21(11)

दिनांक

आदेश फलक

अभियुक्ति

वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2018 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधि द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मीजा- साधीबाड़ा धाना नं0-47 खाता संख्या-69 प्लॉट संख्या-187 रकबा-13576 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-1 के पृष्ठ संख्या-147 पर जमाबंदी रैयत रामचन्द्र महतो पिता धनदरी महतो के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19/09/2020 को उपस्थापित करें।

03/9/20


अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

20-03-2020

19-09-2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(f) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।


19/9/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - रामचन्द्र मल्हारी
पिठ लखवरी मल्हारी
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>खाखावाट</u>	<u>५७</u>	<u>६९</u>	<u>१८७</u>	<u>१३५७०</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... १..... पृष्ठ सं०-..... १५७..... पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- १९६५-६६
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- जैरखावाट खाता
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई हैं :- अकर दाल
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) - अकर दाल
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी II से
अकर दाल
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

कम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>अं० ३१० / अं० ११७ / जोकिन्दपुर</u>			

महागल, आदेशित भूमि संबंधित पंजी के अनुसार जैरखावाट खाते की खति है। संबंधित पंजी में जमाबंदी सं० १५७ दर्ज है। प्राधिकार कौलम में अकर दाल के शां० १८९ (११) १९६५-६६ अंकित है। उक्त जमाबंदी संदेहास्पद प्रकृत होता है।
 -कतः जमाबंदी रद्द/निष्प्रभाव करण हेतु आग्रह कार्यवाही की जा सकेगी है।

की जा सकेगी है।
रामचन्द्र मल्हारी जैरखावाट